



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 873]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2006/श्रावण 19, 1928

No. 873]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2006/SRAVANA 19, 1928

कंपनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2006

का.आ. 1273(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों या कंपनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति नामक सलाहकार समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी, अर्थात् :-

- | | |
|---|---|
| (1) श्री येजदी एच. मालेगम,
चार्टर्ड अकाउंटेंट | अध्यक्ष
(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (2) श्री टी. के. एन. मनोहरन,
अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड
अकाउंटेंट संस्थान | सदस्य
(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (3) श्री एच. एम. चौरारिया,
अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव
संस्थान | सदस्य
(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (4) श्री एम. गोपालाकृष्णन,
सदस्य केन्द्रीय परिषद्, भारतीय
लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान | सदस्य
(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (5) श्री प्रशान्त सरन,
मुख्य महा प्रबंधक प्रभारी
भारतीय रिजर्व बैंक | सदस्य
(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (6) श्री ए. के. अवस्थी,
महानिदेशक (वाणिज्यक)
भारत के नियंत्रण महालेखा
परीक्षक का नामनिर्देशिती | सदस्य
(28-2-2007 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |

(7) डॉ. एन. बालसुब्रमणियन, भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलौर का नामनिर्देशिनी	सदस्य (28-2-2007 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(8) श्री दिनेश वर्मा, सी.आई.टी., (आई टी ए), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	सदस्य (28-2-2007 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(9) श्री वेद जैन, दि एसोसिएटेड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री का नामनिर्देशिनी	सदस्य (28-2-2007 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(10) श्री एस. आर. मेहता, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री का नामनिर्देशिनी	सदस्य (28-2-2007 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(11) श्री आर. के. नायर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का नामनिर्देशिनी	सदस्य (28-2-2007 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(12) श्री जितेश खोसला, संयुक्त सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय	सदस्य (28-2-2007 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2006

S.O. 1273(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards, consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely :—

(1) Shri Yezdi H. Malegam, Chartered Accountant	Chairperson (shall hold office upto 28-2-2007) [under clause (a) of Sub-section (2) of Section 210A]
(2) Shri T. N. Manoharan, President of the Institute of Chartered Accountants of India	Member (shall hold office upto 28-2-2007) [nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 210A]
(3) Shri H. M. Choraria, President of the Institute of Company Secretaries of India	Member (shall hold office upto 28-2-2007) [nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 210A]
(4) Shri M. Gopalakrishnan, Central Council Member, The Institute of Cost and Works Accountants of India	Member (shall hold office upto 28-2-2007) [nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 210A]
(5) Shri Prashant Saran, Chief General Manager-in-charge, Reserve Bank of India	Member (shall hold office upto 28-2-2007) [nominated under clause (d) of Sub-section (2) of Section 210A]

- | | |
|---|---|
| (6) Shri A. K. Awasthi,
Director General (Commercial),
Nominee of the Comptroller and
Auditor-General of India | Member
(shall hold office upto 28-2-2007)
[nominated under clause (e) of Sub-section (2) of Section 210A] |
| (7) Dr. N. Balasubramanian,
Nominee of the Indian Institute of
Management, Bangalore | Member
(shall hold office upto 28-2-2007)
[nominated under clause (f) of Sub-section (2) of Section 210A] |
| (8) Shri Dinesh Verma,
CIT (ITA),
Central Board of Direct Taxes | Member
(shall hold office upto 28-2-2007)
[nominated under clause (g) of Sub-section (2) of Section 210A] |
| (9) Shri Ved Jain,
Nominee of the Associated Chambers
of Commerce and Industry of India | Member
(shall hold office upto 28-2-2007)
[nominated under clause (h) of Sub-section (2) of Section 210A] |
| (10) Shri S. R. Mehta,
Nominee of the Federation of Indian
Chambers of Commerce and Industry | Member
(shall hold office upto 28-2-2007)
[nominated under clause (h) of Sub-section (2) of Section 210A] |
| (11) Shri R. K. Nair,
Executive Director,
Securities and Exchange
Board of India | Member
(shall hold office upto 28-2-2007)
[nominated under clause (i) of Sub-section (2) of Section 210A] |
| (12) Shri Jitesh Khosla,
Joint Secretary,
Ministry of Company Affairs | Member
(shall hold office upto 28-2-2007)
[nominated under clause (c) of Sub-section (2) of Section 210A] |

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2001-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

